# प्रारंभिक परीक्षा

## SEC और हेग सर्विस कन्वेंशन

### संदर्भ

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी मामले में गौतम अडानी को समन जारी करने के लिए हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत सरकार से सहायता मांगी है।

### हेग सर्विस कन्वेंशन (1965) के बारे में -

- **यह भारत और अमेरिका सहित 84 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक कानूनी संधि है।**
- इसे औपचारिक रूप से सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।
- **यह संधि यह सुनिश्चित करती है कि एक देश के लोगों को दूसरे देश में अदालती मामलों में शामिल होने पर कानूनी दस्तावेज उचित तरीके से उपलब्ध कराए जा सकें।**
- इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की समय पर और निष्पक्ष सूचना मिले।
- **यह कैसे काम करता है?**
    - संधि में प्रत्येक देश कानूनी दस्तावेज़ अनुरोधों को संभालने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्त करता है।
    - कानूनी सेवा का अनुरोध करने वाले देश को प्राप्तकर्ता देश के नियमों का पालन करना होगा।
    - कानूनी दस्तावेज़ निर्दिष्ट प्राधिकारियों, डाक सेवाओं, राजनयिक चैनलों या अन्य अनुमोदित तरीकों के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

### हेग कन्वेंशन पर भारत का रुख -

- **भारत 2006 में हेग सर्विस कन्वेंशन में शामिल हुआ, लेकिन उसने कानूनी नोटिस भेजने के तरीके पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।**
- भारत डाक सेवा या वकीलों या अदालतों के बीच सीधे संचार जैसे वैकल्पिक तरीकों की अनुमति नहीं देता (जो कुछ देश अनुमति देते हैं)।
- विदेशों से सभी कानूनी नोटिस कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जाने चाहिए।
- भारत उन अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है यदि वे उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं।
- **भारत में यह कैसे काम करता है?**
    - कानून एवं न्याय मंत्रालय को विदेश से कानूनी दस्तावेज प्राप्त होते हैं।
    - यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो यह उन्हें व्यक्ति को भेजने के लिए भारतीय अधिकारियों को भेज देता है।
    - इस प्रक्रिया में 6 से 8 महीने लगते हैं। यदि भारत अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो उसे एक वैध कारण बताना होगा।

### यदि भारत सहयोग नहीं करता तो क्या होगा? (डिफ़ॉल्ट निर्णय) -

- **डिफ़ॉल्ट निर्णय तब होता है जब न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय जारी करता है जो कानूनी कार्यवाही का जवाब नहीं देता।**
- हेग कन्वेंशन के तहत, यदि कोई देश कानूनी दस्तावेज ठीक से पेश करने में विफल रहता है, तो विदेशी अदालत अभी भी मामले को आगे बढ़ा सकती है।
- **डिफ़ॉल्ट निर्णय के लिए शर्तें:**
    - कानूनी दस्तावेज, संधि के तहत उचित तरीकों का उपयोग करके भेजे गए होने चाहिए।
    - दस्तावेज़ भेजने के बाद कम से कम छह महीने बीतने चाहिए।
    - देश (भारत, इस मामले में) यह सबूत देने में विफल रहा हो कि नोटिस दिया गया था।

**स्रोत:** **The Hindu - Hague Service Convention**

# माउंट फेंटेल(Mount Fentale)

## संदर्भ

**माउंट फेंटेल में एक असाधारण ज्वालामुखीय घटना** दर्ज की गई है, **जहां ज्वालामुखी ने वायुमंडल में भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित की है।**

## माउंट फेंटेल के बारे में -

- **अवस्थिति:** इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में अवाश नेशनल पार्क में।
- ज्वालामुखियों से मीथेन उत्सर्जन दुर्लभ है**,** क्योंकि ज्वालामुखी गतिविधि में आम तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड (**$CO_2$**) और सल्फर डाइऑक्साइड (**$SO_2$**) का उत्सर्जन शामिल होता है।

## मीथेन प्लम्स(Methane Plumes) क्या हैं?

- **मीथेन प्लम्स वायुमंडल में मीथेन गैस के बड़े, केंद्रित उत्सर्जन को संदर्भित करता है।**
- ये प्लम्स प्राकृतिक स्रोतों (ज्वालामुखी, आर्द्रभूमि, पर्माफ्रॉस्ट) या मानवीय गतिविधियों (तेल ड्रिलिंग, कोयला खनन, पशुधन खेती) से उत्पन्न हो सकते हैं।
- मीथेन एक सदी से अधिक गर्मी को रोकने में $CO_2$ से 28 गुना अधिक शक्तिशाली है।
    - मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 11% के लिए जिम्मेदार है।
- **बड़े मीथेन प्लम्स वैश्विक तापमान को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।**

**स्रोत:** **Methane Plumes**

# एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया

## संदर्भ

केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूरे भारत में बंदरगाह परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र-एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की।

## एक राष्ट्र-एक बंदरगाह पहल (ONOP) के बारे में -

- **ONOP केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा देश के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई एक पहल है।**
- इसका लक्ष्य दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत करना है।

## ONOP की मुख्य विशेषताएं -

- **दस्तावेज़ीकरण में कमी:**
  - कंटेनर संचालन दस्तावेज़ 33% कम (143 से 96)
  - थोक कार्गो दस्तावेजों में 29% की कमी (150 से 106 तक)।
- **सागर अंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI):**
  - पोर्ट दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रदर्शन बेंचमार्किंग टूल, जो कार्गो हैंडलिंग और टर्नअराउंड समय जैसे मेट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म:**
  - व्यापार स्वीकृतियों को स्वचालित करने और संयुक्त अरब अमीरात, बिम्सटेक और आसियान देशों जैसे देशों के साथ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (वीटीसी) स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का एकीकरण।
- **भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम:**
  - इसका उद्देश्य भारत की समुद्री पहुंच का विस्तार करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।
  - भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के लिए बंदरगाह विस्तार, दक्षता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **हरित और स्मार्ट बंदरगाह अवसंरचना:**
  - पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कम कार्बन लॉजिस्टिक्स और आधुनिक बंदरगाह सुविधाओं सहित स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना।

**स्रोत: PIB - ONOP**

# समाचार में स्थान

## कैस्पियन सागर: तेजी से घट रहा जल स्तर

- कैस्पियन सागर गिरते जल स्तर और सिकुड़ती तटरेखा के साथ गंभीर पर्यावरणीय संकट से गुजर रहा है।
- 2003 में, कैस्पियन सागर के तटवर्ती देशों ने कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए (तेहरान) फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।

- **अवस्थिति:** यूरोप और एशिया के बीच, काकेशस पर्वतमाला के पूर्व और मध्य एशियाई मैदान के पश्चिम में।
- **यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा बंद अंतर्देशीय जल निकाय है। (विश्व की सबसे बड़ी झील)।**
- **सीमावर्ती क्षेत्र:** रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान।
- **प्राथमिक अंतर्वाह:** वोल्गा नदी, यूराल नदी, कुरा नदी, तेरेक नदी।
- **यह क्षेत्र तेल, प्राकृतिक गैस और जैव विविधता से समृद्ध है, जो इसे सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।**

**स्रोत:** TOI - Caspian Sea

# समाचार संक्षेप में

## अमेज़न की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप 'ओसेलॉट'

- **हाल ही में अमेज़न ने अपनी पहली इन-हाउस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, 'ओसेलॉट' की घोषणा की।**

### ओसेलॉट की मुख्य विशेषताएं -

- **ओसेलॉट एक नौ-क्विबिट चिप है जिसे अमेज़न ने आंतरिक रूप से निर्मित किया है।**
- त्रुटियों को दबाने और क्वांटम स्थिरता में सुधार करने के लिए चिप में **'कैट क्वैबिट'** शामिल है।
- **क्वांटम त्रुटि सुधार:**
  - ओसेलॉट को पारंपरिक तरीकों की तुलना में क्वांटम त्रुटि सुधार लागत को 90% तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग में त्रुटि उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- **स्केलेबिलिटी और दक्षता:**
  - ओसेलॉट-आधारित क्वांटम कंप्यूटरों को वर्तमान क्वांटम सिस्टम के लिए आवश्यक संसाधनों के केवल दसवें हिस्से की आवश्यकता होगी।

**स्रोत:** **The Hindu - Ocelot**

## भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

- हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने अपने प्राणि मित्र और जीव दया पुरस्कारों की घोषणा की है।

### AWBI के बारे में -

- **इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 की धारा-4 के तहत की गई थी।**
- **इसकी शुरुआत रुक्मिणी देवी अरुंडेल (प्रसिद्ध पशु अधिकार कार्यकर्ता) के नेतृत्व में की गई थी।**
- **नोडल मंत्रालय:** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- **संरचना:** बोर्ड में 6 संसद सदस्यों ( राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4) सहित 28 सदस्य होते हैं।
- **AWBI के प्रमुख कार्य:**
  - पूरे भारत में पशु कल्याण पहल को बढ़ावा देना।
  - पशु कल्याण संगठनों को मान्यता एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 को लागू करना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना।
  - नीति निर्माण और पशु कल्याण कानूनों पर सरकार को सलाह देना।

**स्रोत:** **PIB - AWBI**

## चोलनाइक्कन जनजाति

- हाल ही में समग्र शिक्षा केरल (SSK) ने चोलनाइक्कन जनजाति की भाषा में 30 ऑडियो विजुअल टेक्स्ट विकसित किए हैं।

**चोलनाइक्कन जनजाति के बारे में -**

- **चोलनाइक्कन जनजाति केरल में एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है।**
- वे एक लुप्तप्राय और छोटे आदिवासी समुदाय हैं, जो **मुख्य रूप से मलप्पुरम जिले के नीलांबुर जंगलों में पाए जाते हैं।**
- उनका संपर्क न्यूनतम है तथा वे जीवित रहने के लिए जंगलों पर निर्भर हैं।
- वे भारत की सबसे अलग-थलग जनजातियों में से एक हैं, जिनकी **जनसंख्या 400 से भी कम** है।
- **उन्हें "केरल के गुफामानव" के नाम से भी जाना जाता है।**

**स्रोत:** **The Hindu - Cholanaikkan Tribe**

## करनाल की लड़ाई

- **24 फरवरी 1739 को लड़ी गई करनाल की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी जिसने मुगल साम्राज्य के अंतिम पतन की शुरुआत को चिह्नित किया।**

**करनाल की लड़ाई के बारे में -**

- **यह नादिर शाह (फारस के अफशरीद वंश के शासक) और मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी।**
- लड़ाई करनाल (वर्तमान हरियाणा में) के पास हुई और तीन घंटे से भी कम समय तक चली, जिसके परिणामस्वरूप मुगलों की करारी हार हुई।
- **नतीजा:**
  - मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को नादिर शाह ने बंदी बना लिया था।
  - **नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली को लूटा तथा मयूर सिंहासन और कोहिनूर को फारस ले गया।**

**महत्व**

- मुगल साम्राज्य इस हार से कभी उबर नहीं सका और उसका पतन जारी रहा।
- क्षेत्रीय शक्तियों (मराठा, जाट, सिख और अफगान) को ताकत मिली, जबकि मुगलों का अधिकार कम हो गया।
- **बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता की रिक्तता को भर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1857 में मुगल शासन का अन्त हो गया।**

**स्रोत:** **Indian Express - Battle of Karnal**

# संपादकीय सारांश

## अमेरिका-भारत रक्षा संबंध

### संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली।

### प्रमुख रक्षा समझौते और पहल -

- **रक्षा अधिग्रहण और सह-उत्पादन**: भारत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) और स्ट्राइकर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (आईसीवी) की खरीद और सह-उत्पादन के साथ आगे बढ़ रहा है।
    - भारत के समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) को बढ़ाने के लिए छह और पी-8आई समुद्री गश्ती विमान हासिल करने का समझौता।
- **नया 10-वर्षीय रक्षा ढांचा**: भारत और अमेरिका दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करते हुए, अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए 10-वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर करेंगे।
- **ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री एलायंस (ASIA)**: यह अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (यूडीए) के लिए एक पहल है।
- **भविष्य की सम्भावनाएँ:**
    - समुद्री प्रणालियों और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर संभावित सहयोग।
    - अंतरिक्ष, वायु रक्षा और टैंक रोधी मिसाइलों में त्वरित संलग्नता।
- **रक्षा व्यापार में नियामक सुधार:**
    - भारत और अमेरिका सुचारू रक्षा व्यापार के लिए हथियार हस्तांतरण नियमों की समीक्षा करेंगे।
    - पारस्परिक रक्षा खरीद (आरडीपी) समझौते के लिए वार्ता, अधिग्रहण तंत्र को संरेखित करना और पारस्परिक रक्षा आपूर्ति को बढ़ावा देना।

### रक्षा साझेदारी में बाधाएँ -

- **जेट इंजन स्थानांतरण पर स्पष्टता का अभाव**: तेजस-मार्क 1ए लड़ाकू विमान के लिए **GE F-404** इंजन की तत्काल डिलीवरी का कोई उल्लेख नहीं।
    - तेजस मार्क-II को पावर देने के लिए GE F-414 इंजन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) में 80% से अधिक की अनिश्चितता।
- **F-35 फाइटर जेट ऑफर के साथ चुनौतियाँ**
    - भारत के विविध विमान बेड़े के कारण उच्च एकीकरण लागत।
    - अमेरिका द्वारा परिचालन उपयोग पर संभावित प्रतिबंध।
    - F-35 जेट के लिए सह-उत्पादन या ToT का अभाव।
- **भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की कमी**
    - IAF के लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या 30 से कम हो सकती है, जिसके लिए तत्काल नए जेट विमानों को शामिल करने की आवश्यकता होगी।
    - 114 लड़ाकू विमानों के लिए मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) परियोजना अभी भी अनसुलझी है।
- **रक्षा सौदों में पिछली असफलताएँ**
    - ToT में फ्रांस की अनिच्छा के कारण डसॉल्ट राफेल सौदे को समस्याओं का सामना करना पड़ा।
    - भारत ने लागत चिंताओं के कारण पहले नियोजित 114 के बजाय 36 राफेल जेट के लिए समझौता किया था।

## निष्कर्ष

हाल ही में भारत-अमेरिका रक्षा सौदे द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सह-उत्पादन, उन्नत प्रौद्योगिकियों और रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है । हालांकि, प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर लड़ाकू विमान खरीद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और परिचालन स्वतंत्रता में । इन बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों को नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और वास्तव में मजबूत और आत्मनिर्भर सैन्य साझेदारी हासिल करने के लिए भारत की रक्षा क्षमता की कमियों को दूर करने की आवश्यकता होगी।

**स्रोत:** **The Hindu: Trump 2.0 and the new matrix of U.S.-India defence ties**

# विस्तृत कवरेज

## भारत और यूरोपीय संघ

### संदर्भ

हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में यूरोपीय आयोग के सदस्यों ने नई दिल्ली का दौरा किया।

### सहयोग के क्षेत्र -

- **ऐतिहासिक संबंध**
  - 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये गये।
  - 2004 में पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में इसे सामरिक साझेदारी में उन्नत किया गया।
- **संस्थागत सहयोग**
  - अब तक 15 भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं, पहला 2000 (लिस्बन) में आयोजित किया गया था।
  - भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी: 2025 तक का रोडमैप 2020 में अपनाया गया।
  - व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2022 में भारत- यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की स्थापना की गई।
- **व्यापार एवं निवेश**
  - यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार है।
  - **द्विपक्षीय व्यापार (वित्त वर्ष 2023-24):**
    - **वस्तुएं**: 135 बिलियन डॉलर (निर्यात: 76 बिलियन डॉलर, आयात: 59 बिलियन डॉलर)।
    - **सेवाएँ**: 53 बिलियन डॉलर (निर्यात: 30 बिलियन डॉलर, आयात: 23 बिलियन डॉलर)।
  - **भारत में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अप्रैल 2000 - सितम्बर 2024)**: $117.4 बिलियन (कुल एफडीआई का 16.6%)।
  - **यूरोपीय संघ में भारतीय एफडीआई**: $40.04 बिलियन (अप्रैल 2000 - मार्च 2024)।
  - मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही वार्ता।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग**
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (2007)।
  - भारत-EU उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) (2022) में सहयोग का इरादा।
  - सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास समझौता ज्ञापन पर 2023 में हस्ताक्षर किए गए।
  - एआई शिखर सम्मेलन (2023) पर वैश्विक साझेदारी में यूरोपीय संघ की भागीदारी।
- **हरित ऊर्जा सहयोग**
  - भारत-यूरोपीय संघ हरित हाइड्रोजन सहयोग पहल।
  - यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह (2024) में भारत विशेष साझेदार था।
  - यूरोपीय निवेश बैंक ने भारत की हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन यूरो देने का वादा किया।
- **लोगों के बीच संबंध**
  - 20% EU ब्लू कार्ड (2023-24) भारतीय पेशेवरों को जारी किए गए।
  - 20 वर्षों में भारतीय छात्रों को 6,000+ इरास्मस छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।
  - 2,700+ भारतीय शोधकर्ताओं को मैरी स्कोलोडोव्स्का-क्यूरी एक्शन के तहत वित्त पोषित किया गया।
- **रक्षा एवं सुरक्षा**
  - ESIWA+ कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग।
  - गिनी की खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (2023)।

  - वैश्विक सुरक्षा, समुद्री डकैती, आतंकवाद निरोध और आपदा राहत पर सहयोग।
- **अंतरिक्ष सहयोग**
  - इसरो ने यूरोपीय संघ के प्रोबा-3 मिशन (दिसंबर 2024) को लॉन्च किया।
  - चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 मिशन में इसरो-ईएसए सहयोग।
  - गगनयान मिशन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

## भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में चुनौतियाँ -

- **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)**: उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों (जैसे इस्पात) से आयात पर यूरोपीय संघ के कार्बन कर ने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो इसे व्यापार बाधा के रूप में देखता है।
  - इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर 0.05% प्रभाव पड़ सकता है (विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र)।
- **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR):** भारत के डेटा संरक्षण कानून यूरोपीय संघ के कड़े जीडीपीआर ढांचे से काफी भिन्न हैं, जो सीमा पार डेटा प्रवाह को प्रभावित करते हैं।
  - डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल संप्रभुता की भारत की मांग ने यूरोपीय संघ की खुली इंटरनेट नीतियों के साथ टकराव पैदा कर दिया है।
- **लंबी चली एफटीए वार्ता**: डिजिटल विनियमन, द्विपक्षीय निवेश संधियों, विवाद समाधान तंत्र और निवेशक संरक्षण पर मतभेदों के कारण मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी हुई है।
  - द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (बीटीआईए) वार्ता (2007-2013) 2021 तक निष्क्रिय रही।
- **भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मतभेद:**
  - **यूक्रेन विवाद**: यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का कड़ा विरोध किया है, जबकि भारत ने रूस के साथ अपने ऊर्जा और रक्षा संबंधों के कारण तटस्थ रुख बनाए रखा है। यह मतभेद रणनीतिक विश्वास को प्रभावित करता है।
  - **चीन नीति संबंधी मतभेद**: यद्यपि भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही चीन के उदय को सतर्कता के साथ देखते हैं, फिर भी चीन के साथ यूरोपीय संघ की आर्थिक भागीदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिससे भारत-प्रशांत सहयोग में रणनीतिक अंतर पैदा हो रहा है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की सीमाएं:** अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ भारत के गहरे रक्षा संबंधों के विपरीत, यूरोपीय संघ की विकेन्द्रित रक्षा नीतियों के कारण यूरोपीय संघ-भारत रक्षा सहयोग अविकसित बना हुआ है।
  - **समुद्री सुरक्षा अंतराल**: यद्यपि यूरोपीय संघ ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है, लेकिन इसमें एकीकृत रक्षा नीति का अभाव है, जिससे भारत के साथ सुरक्षा सहयोग कम प्रभावी हो गया है।
- **वीज़ा और आवागमन प्रतिबंध**: भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबंधात्मक वीज़ा नीतियां, विशेष रूप से ब्लू कार्ड योजना के अंतर्गत, यूरोप में भारत की कुशल कार्यबल की मांग के बावजूद आवागमन को सीमित करती हैं।
  - यद्यपि इरास्मस जैसी छात्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, फिर भी नौकरशाही संबंधी बाधाएं अक्सर भारतीय छात्रों को यूरोपीय संघ के देशों में अध्ययन करने से रोकती हैं।
- **यूरोपीय संघ की नीतियों में सामंजस्य की कमी:** यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों के एक समूह के रूप में काम करता है , जिनमें से प्रत्येक की अपनी नीतियां हैं। भारत को अक्सर यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करने की तुलना में प्रमुख यूरोपीय देशों (फ्रांस, जर्मनी) के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ना आसान लगता है।
- **नैतिक असमानताएँ:** श्रम कानूनों, मानवाधिकारों और पर्यावरण मानकों पर मतभेद भारत में यूरोपीय संघ के निवेश के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** भारत की सामरिक स्वायत्तता, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध, भी विवाद का विषय रहा है।

### भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने की आगे की राह -

- **त्वरित एफटीए वार्ता**: दोनों पक्षों को आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने हेतु डिजिटल विनियमन, निवेश संरक्षण और व्यापार बाधाओं पर मतभेदों को हल करना चाहिए।
- **हरित एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना**: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना यूरोपीय संघ के स्थिरता लक्ष्यों और भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित हो सकता है।
- **सुरक्षा और समुद्री सहयोग को गहरा करना**: संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और संरचित रक्षा वार्ता का विस्तार भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ा सकता है।
- **प्रतिभा एवं गतिशीलता आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना**: यूरोपीय संघ ब्लू कार्ड योजना के तहत वीजा नियमों को सरल बनाना तथा भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए कार्य-अध्ययन के अवसरों में सुधार करना लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है।
- **यूरोपीय संघ के भीतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना**: यूरोपीय संघ के साथ एक समूह के रूप में जुड़ते हुए, भारत को व्यापार और निवेश सहयोग में तेजी लाने के लिए फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय संघ देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना चाहिए।

**स्रोत:** **The Hindu: Indian- EU Partnership**